अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

अध्याय-3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रबंध

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। ई.टी.सी. को मुख्यालय पर सहयोग क्लैक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के प्रबन्धन के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओ.), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न ठेकों के लाइसेंस की प्रदानगी हेतु फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरिज में उत्पादित और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट/बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी जिला मुख्यालय में तैनात होता है। उनका मुख्य कार्य विभाग के आय एवं व्यय की आंतरिक लेखापरीक्षा करना है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017-18 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 76 इकाइयों में से 40 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 950 मामलों में ₹ 25.49 करोड़ से आवेष्टित उत्पाद शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि **तालिका 3.1** में तालिकाबद्ध है:

तालिका 3.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

			(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**श्रेणियां**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1	लाइसेंस फीस जमा न करना/कम जमा करना तथा ब्याज की हानि	335	18.21
2	ठेकों के पुनः आबंटन पर लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना	02	1.88
3	अतिरिक्त शुल्क/पेनल्टी न लगाना	458	3.89
4	अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली	138	0.46
5	विविध अनियमितताएं	17	1.05
	योग	**950**	**25.49**

चार्ट 3.1

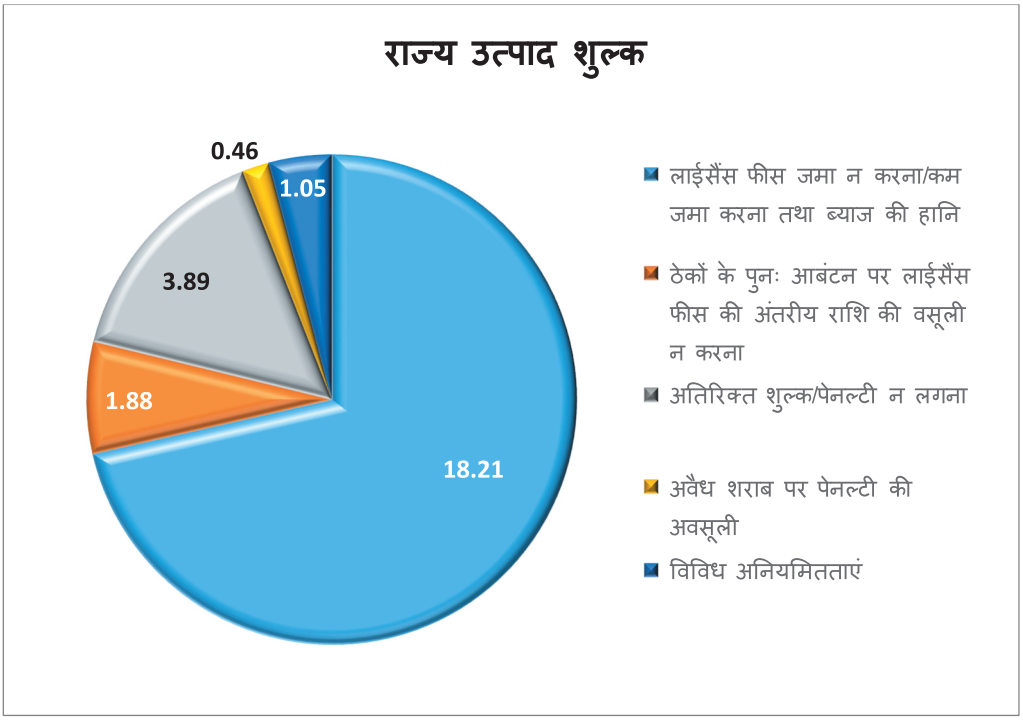

वर्ष के दौरान, विभाग ने 720 मामलों में आवेष्टित ₹ 9.86 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 682 मामलों में आवेष्टित ₹ 9.54 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 38 मामलों में ₹ 32 लाख वसूल किए।

₹ 9.59 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इसी प्रकार के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

3.3 ब्याज की अवसूली/कम वसूली

अप्रैल 2015 से जनवरी 2017 की अवधि के लिए 195 लाइसेंसधारियों द्वारा ₹ 149.19 करोड़ की लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण के ₹ 3.95 करोड़ की हानि थी।

वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 6.4 निर्धारित करता है कि भारत में बनी विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.)/देसी शराब (सी.एल.) की बिक्रियों की दुकानों के लिए लाइसेंस वाले प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाइसेंस फीस की मासिक किश्त का भुगतान करेगा। ऐसे करने में विफलता से लाइसेंसधारी, माह के प्रथम दिन से, जिसमें लाइसेंस फीस देय थी, किश्त के भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा। आगे राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.5 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी माह के अंत तक ब्याज के साथ पूरी मासिक किश्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाइसेंस प्राप्त ठेके अगले माह के प्रथम दिन से

बंद हो जाएंगे और संबंधित जिले के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतः सील बंद किए जाएंगे।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के 11 कार्यालयों[1] के वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 195 ठेकों के लाइसेंसधारियों ने अप्रैल 2015 से जनवरी 2017 की अवधि के लिए ₹ 149.19 करोड़ की लाइसेंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान 21 से 218 दिनों की देरी के साथ किया। इन कार्यालयों के अंतर्गत कुल 650 ठेके हैं। इस प्रकार, 30 प्रतिशत ठेकों में लाइसेंस फीस के भुगतान में विलंब था। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज उद्ग्रहण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.95 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) झज्जर ने बताया (मई 2018) कि ₹ 17.55 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 15.58 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए वसूली कार्यवाहियां आरंभ की गई थी। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) जगाधरी तथा भिवानी ने बताया (सितंबर 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य) कि ₹ 2.88 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 10.58 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तीन डी.ई.टी.सी. (आबकारी)[2] ने बताया (अगस्त 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य) कि ₹ 1.72 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे/नोटिस जारी किए गए थे। शेष पांच डी.ई.टी.सी.[3] से ₹ 1.77 करोड़ की बकाया राशि के लिए कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

मामला मई 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जुलाई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

3.4 शराब का त्रैमासिक कोटा कम उठाने पर पेनल्टी का अनुद्ग्रहण/अवसूली

ठेकेदारों द्वारा कोटा कम उठाने पर डी.ई.टी.सी. (आबकारी) की पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

वर्ष 2016-17 के लिए राज्य आबकारी नीति के पैरा 3.3.1 के अनुसार एक लाइसेंसधारी निर्धारित त्रैमासिक सारणी के अनुसार उसकी दुकान के लिए आबंटित आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. का मूल कोटा उठाने के लिए उत्तरदायी है जिसमें विफल रहने पर दंड के प्रावधानों का आह्वान किया जाता है। निर्धारित त्रैमासिक कोटा का न उठाना, कम मात्रा के लिए क्रमशः आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के लिए ₹ 65 और ₹ 20 प्रति प्रूफ लीटर (पी.एल.) की दर पर पेनल्टी आकर्षित करता है।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के छः कार्यालयों[4] के वर्ष 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 294 खुदरा दुकान लाइसेंसधारियों ने नीचे दिए गए विवरणानुसार निर्धारित त्रैमासिक कोटा नहीं उठाया:

---

1 भिवानी, जगाधरी, जींद, झज्जर, कैथल, करनाल, नारनौल, नूंह, पानीपत, रेवाड़ी तथा रोहतक।

2 नारनौल, रेवाड़ी तथा रोहतक।

3 जींद, कैथल, करनाल, नूंह तथा पानीपत।

4 गुरूग्राम, जगाधरी, जींद, नारनौल, रेवाड़ी तथा रोहतक।

	आई.एम.एफ.एल. प्रूफ लीटर में	सी.एल. प्रूफ लीटर में
मूल निर्धारित कोटा	10,06,270	48,50,449
उठाया गया कोटा	8,19,508	41,01,938
कम उठाया गया	1,86,762	7,48,511
उद्ग्राह्य पेनल्टी की दर	₹ 65	₹ 20
पेनल्टी की राशि	₹ 1,21,39,530	₹ 1,49,70,220

तथापि, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने कोटे के कम उठाए जाने के लिए पेनल्टी लगाने की कार्यवाही नहीं की थी परिणामस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ की पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) जींद तथा नारनौल ने अप्रैल 2018 में बताया कि ₹ 2.41 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 52.59 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। शेष चार डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने मार्च तथा जून 2018 में बताया कि ₹ 2.16 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला मई 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जुलाई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

3.5 अंतरीय लाइसेंस फीस की अवसूली

विभाग द्वारा मूल आबंटियों से लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

वर्ष 2015-16 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 6.5 तथा 2.19 निर्धारित करता है कि यदि आबंटी प्रतिभूति जमा का भुगतान करने में विफल रहता है और किसी माह में लाइसेंस फीस एवं ब्याज का भुगतान नहीं करता है तो लाइसेंसधारी की दुकान अगले माह के प्रथम दिन से बंद कर दी जाएगी और डी.ई.टी.सी. (आबकारी), ई.टी.सी. की पूर्व अनुमति लेने के बाद मूल आबंटी के जोखिम और लागत पर इसका पुनः आबंटन कर सकता है।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) कैथल तथा रोहतक के वर्ष 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मार्च तथा मई 2016 में दो खुदरा दुकानों की नीलामी ₹ 6.24 करोड़ में की गई। ₹ 6.24 करोड़ की कुल बोली राशि में से आबंटियों ने ₹ 1.68 करोड़ (₹ 1.09 करोड़ का प्रतिभूति जमा तथा ₹ 0.59 करोड़ की लाइसेंस फीस) का भुगतान किया और देय तारीख तक ₹ 4.56 करोड़ की शेष राशि जमा करने में विफल रहे। विभाग ने जुलाई 2016 में उनकी खुदरा दुकानों को रद्द कर दिया और बाद में शेष अवधि के लिए मूल आबंटियों के जोखिम और लागत पर ₹ 2.68 करोड़ में अगस्त तथा अक्तूबर 2016 में उन्हें पुनः नीलामी/आबंटित कर दी। तथापि, यह मूल आबंटियों से ₹ 1.88 करोड़ (₹ 4.56 करोड़ - ₹ 2.68 करोड़) की अंतरीय राशि को वसूल करने के लिए कार्यवाही करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) कैथल ने अगस्त 2018 में बताया कि चूककर्ता से ₹ 3.47 लाख की राशि वसूल कर ली गई है। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) रोहतक ने नवंबर 2017 में बताया कि चूककर्ता से ₹ 1.27 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला अप्रैल 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जुलाई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

3.6 शराब के अवैध स्वामित्व और व्यापार के लिए पेनल्टी की अवसूली

वाहनों की जब्ती के एक से तीन वर्षों के समापन के बाद भी विभाग, उनकी नीलामी करके या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली द्वारा अवैध शराब के स्वामित्व के लिए दोषियों से ₹ 73.84 लाख की संपूर्ण पेनल्टी वसूल करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने में विफल रहा।

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 (1) (एएए) (सी) (i) में प्रावधान है कि अवैध शराब[5] के स्वामित्व के लिए दोषी 750 मिलीलीटर की बोतल पर जो ₹ 50 से कम न हो और ₹ 500 प्रति बोतल से अधिक न हो की पेनल्टी उद्ग्रहणीय है। आगे, हरियाणा पेनल्टी लगाना तथा वसूली नियम, 2003 में प्रावधान है कि यदि पेनल्टी का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता तो कलैक्टर शराब के साथ परिवहन के साधन की जब्ती हेतु आदेश पारित करेगा और जब्ती के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन के साधन की नीलामी की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के छ: कार्यालयों[6] के वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने 157 मामलों में अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के मध्य अवैध शराब की 64,647 बोतलें पकड़ी और 61 वाहन जब्त किए। विभाग ने नोटिस देने और उसके संबंधित दोषी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण की जांच करके 106 मामलों में ₹ 74.89 लाख की पेनल्टी लगाई। शेष मामलों में लेखापरीक्षा ने 51 मामलों में ₹ 50 की न्यूनतम दर पर ₹ 11.30 लाख की पेनल्टी परिकलित की। इस प्रकार पेनल्टी की कुल राशि ₹ 86.19 लाख परिकलित की गई। विभाग ने केवल ₹ 12.35 लाख वसूल किए तथा एक से तीन वर्षों के समापन के बाद भी जब्त वाहनों की नीलामी करने या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने हेतु ₹ 73.84 लाख की शेष पेनल्टी वसूल करने के लिए कार्यवाही नहीं की थी।

यह इंगित किए जाने पर, सभी डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने अगस्त 2016 तथा अप्रैल 2018 के मध्य बताया कि संबंधित चूककर्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे तथा चूककर्ताओं से ₹ 73.84 लाख की वसूली की जाएगी।

मामला अप्रैल 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जुलाई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

---

5 अवैध शराब का अर्थ है किसी गुणवत्ता नियंत्रण जांच के बिना गैर-कानूनी ढंग से तैयार की गई शराब जो अनुमत सीमा से अधिक मादक केंद्रीकरण के कारण मानवीय खपत हेतु उपयुक्त नहीं है।

6 अंबाला, फरीदाबाद, जगाधरी, जींद, कैथल तथा पंचकूला।

3.7 लाइसेंस फीस के विरूद्ध सहभागिता फीस के अनियमित समायोजन के कारण राजस्व की हानि

विभाग द्वारा दुकानदारों से देय लाइसेंस फीस के विरूद्ध सहभागिता फीस का राज्य आबकारी नीति के उल्लंघन में अनियमित समायोजन अनुमत किया गया था परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 31.20 लाख के राजस्व की हानि हुई।

वर्ष 2015-16 की राज्य आबकारी नीति का पैरा 2.15 निर्धारित करता है कि बोलीदाता को प्रत्येक शराब की दुकान के लिए ₹ 10,000 की दर पर सहभागिता फीस जमा करवानी होगी। सहभागिता फीस अप्रत्यार्पणीय एवं असमायोजनीय है।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) फरीदाबाद तथा सोनीपत के वर्ष 2015-16 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 33 दुकानदारों द्वारा देय लाइसेंस फीस के विरूद्ध ₹ 31.20 लाख की सहभागिता फीस समायोजित की गई थी जो राज्य आबकारी नीति के प्रावधानों के विरूद्ध थी। विभाग द्वारा राज्य आबकारी नीति के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफलता के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 31.20 लाख के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) सोनीपत ने मार्च 2017 में बताया कि मामले की जांच की जाएगी और अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि डी.ई.टी.सी. (आबकारी) फरीदाबाद ने लेखापरीक्षा परिणामों को स्वीकार किया, वसूली हेतु की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा को सूचित नहीं की गई थी।

मामला अप्रैल 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जुलाई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि देय समुचित रूप से एकत्रित किए जाते हैं, आंतरिक लेखापरीक्षा यंत्रावली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।